कार्यालय नगर पालिका परिषद, आजमगढ़

पत्रांकः– 860 /न0पा0प0आ0/2017–18

दिनांकः– 21/4/17

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ द्वारा निर्माण कार्यो को ठेके पर दिये जाने हेतु ठेकेदारों से वर्ष 2017–18 के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु दिनांक 27-04-2017 तक नियमानुसार आवेदन–पत्र आमंत्रित किये जाने है। दिनांक 30-04-2017 के पश्चात् निर्माण कार्यो के ठेके उन्हीं ठेकेदारों को दिये जायेगें, जो पंजीकृत हो चुके हों/नवीनीकरण हो चुका होगा। पंजीकरण/नवीनीकरण के समय निम्न प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जिससे की पंजीकरण/नवीनीकरण पर विचार किया जा सकें।

पंजीकरण हेतु/नवीनीकरण हेतुः–

1. छः माह की अवधि के अन्दर का चरित्र प्रमाण–पत्र जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त हो।
2. छः माह की अवधि के अन्दर का हैसियत प्रमाण–पत्र जो जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त हो।
3. नवीनतम निवास प्रमाण–पत्र तहसीलदार महोदय द्वारा प्रदत्त हो।
4. टिन एवं पैन कार्ड की छायाप्रति।
5. अनुभव प्रमाण–पत्र।
6. अद्देयता प्रमाण पत्र जैसे आयकर व व्यापारकर (वैट) व नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ का भी अद्देयता प्रमाण–पत्र।
7. अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ के पक्ष में 20,000.00 की एन0एस0सी0/डी0ए0सी0 के रूप में प्रतिभूत जमा करना अनिवार्य होगा एवं आवेदन फार्म पर भी अंकित करना होगा।
8. श्रम विभाग का रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

उक्त तिथि के पश्चात् पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु वर्ष 2017–18 में समक्षः अधिकारी के निर्णय के उपरान्त ही आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

नोट–: फर्म/ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत समस्त अद्देयता प्रमाण–पत्रों यदि जांच करायी जायेगी, और जांच में यदि फर्जी/तथ्यगोपन अद्देयता प्रमाण पत्र सिद्ध होता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार द्वारा जमा की गयी जमानत धनराशि को जब्त करते हुए काली सूची में डालते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित व्यक्ति/फर्म की स्वयं की होगी।

19.04.2017.

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, आजमगढ़

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद, आजमगढ़

प्रतिलिपि–:

1. सम्पादक "दैनिक जागरण व तरूण मित्र" दैनिक समाचार पत्र आजमगढ़ कोइस आशय से प्रेषित कि अपने समाचार के अगले अंक में कम से कम स्थान में उक्त सूचना प्रकाशित करके प्रकाशन के दो प्रति बिल के साथ प्रस्तुत करें।
2. सूचना विज्ञान केन्द्र अधिकारी आजमगढ़ को जनपद की वेबसाइड एन0आई0सी0 पर प्रसारित करने हेतु।
3. नाजिर कलेक्ट्रेट आजमगढ़ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।
4. नाजिर जिला पंचायत आजमगढ़ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।
5. लोक निर्माण विभाग आजमगढ़ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।
6. तहसीलदार सदर, आजमगढ़ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।
7. नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

19.04.2017.

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, आजमगढ़